न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–09, शाहजहाँपुर।

उपस्थितः– कमलापति–प्रथम ––––––––एच0जे0एस0।

<u>सत्र परीक्षण संख्या–184/2019</u>

1. उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––अभियोजन।

बनाम

1. सतीश पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी ग्राम खखरा बुर्जुग, थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर।

––––––––अभियुक्त।

मु0अ0सं0–621/2018
धारा–306 भा0दं0सं0
थाना–बण्डा, जिला–शाहजहाँपुर।

<u>निर्णय</u>

थाना बण्डा, जिला शाहजहाँपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त सतीश के विरुद्ध धारा 306 भा0द0सं0 के अपराध हेतु विचारण के लिए आरोपपत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किये जाने पर उक्त अपराध को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय शाहजहाँपुर द्वारा प्रश्नगत मामले को अपने आदेश दिनांकित 24.05.2019 से विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या–184/2019 पर दर्ज होकर सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी श्रीकृष्ण पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम सैहजनिया ने थाना बण्डा पर इस आशय की तहरीर दी कि उसने अपनी लड़की अनीता देवी की शादी दिनांक 21.06.2018 को धूमधाम से सतीश के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार की थी। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था परन्तु उसका दामाद सतीश व उसके पिता रामेश्वर दयाल, अवधेश कुमार, अन्जू देवी व अखिलेश कुमार दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नही हुए और अतिरिक्त दहेज के रुप में एक एल0सी0डी0 टी0वी0 व जनरेटर की मांग करने लगे। उसकी लड़की अनीता ने सारा वाक्या बताया तब उसने अतिरिक्त दहेज के रुप में एल0सी0डी0 टी0वी0 व जनरेटर देने में असमर्थता जताई परन्तु यह लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। आज समय करीब 3:00 बजे सतीश की मिसकॉल उसके मोबाइल पर आयी, कॉल बैक किया तब सतीश ने बताया कि अनीता की मृत्यु हो गयी है और फोन काट दिया। वादी ने अपने परिजनों के साथ समय करीब 5:00 बजे शाम को ग्राम खखरा बुर्जुग अपनी लड़की के ससुराल आया तो देखा कि घर पर कोई नही था व अनीता अपने कमरे में बेड पर मृत पड़ी हुई थी व कमरे में लगे कुण्डे में कपड़ा लटक रहा था। उक्त लोगों ने दहेज की मॉग पूरी न होने पर उसकी लड़की अनीता देवी की हत्या कर दी।

वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 26.12.2018 को समय 22:59 बजे पर अभियुक्त

सतीश, रामेश्वर दयाल, अवधेश कुमार, श्रीमती अंजू देवी, अखिलेश कुमार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–05, मु0अ0सं0 621/2018, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध हेतु पंजीकृत किया गया। जिसका इन्द्राज थाने के रोजनामचा आम में बहवाले रपट संख्या 35 समय 22:59 बजे दिनांकित 26.12.2018 प्रदर्श क–6 में किया गया। उक्त मामले की विवेचना थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार यादव द्वारा ग्रहण की गयी।

विवेचना के दौरान गवाहों के बयान अंकित किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। मृतका के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने के उपरान्त प्रपत्रों को संकलित कर सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सतीश के विरुद्ध धारा 306 भा0द0सं0 के अपराध हेतु आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2019 को अभियुक्त सतीश के विरुद्ध धारा 306 भा0द0सं0 के अपराध हेतु आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्त द्वारा इन्कार करते हुये परीक्षण कराये जाने की मांग की गयी।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विरचित उक्त अपराध के आरोपों को साबित किये जाने हेतु पी0डब्लू–1 श्रीकृष्ण, पीडब्लू–2 शोभित कुमार, पीडब्लू–3 रामनिवास, पीडब्लू–4 डा0 प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव, पीडब्लू–5 प्रवीण कुमार यादव एवं पी0डब्लू–6 वीरेन्द्र सिंह पैरोकार को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, आरोप पत्र प्रदर्श क–4, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–5, जी0डी0 प्रदर्श क–6 डाला गया।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त का बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 के अधीन अंकित किया गया, जिसमें उसके द्वारा घटना से इनकार करते हुये अपने विरुद्ध प्रस्तुत किये गये बयानों के गलत होने के कथन किये गये। अभियुक्त द्वारा विशिष्ट रूप से कथन किया गया कि मृतका अनीता उससे शादी नही करना चाहती थी। पिता ने बिना उसकी मर्जी से शादी कर दी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसमें प्रार्थी का कोई दोष नही है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है।

बचाव पक्ष को प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदत्त किया गया, किन्तु बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक ढंग से अध्ययन एवं परिशीलन किया।

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 का आरोप लगाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप को सन्देह के परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखे गये कि परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से घटना के तथ्यात्मक पहलुओं को सन्देह से परे साबित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

जबकि बचाव पक्ष की ओर से तर्क रखे गये कि मृतका अनीता उससे शादी नही करना चाहती थी। पिता ने बिना उसकी मर्जी से शादी कर दी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा न ही दहेज की मांग की गयी और न ही मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित ही किया गया। मृतका द्वारा स्वंय आत्महत्या की गयी, इसमें प्रार्थी का कोई दोष नही है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–1 श्रीकृष्ण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बेटी जिसकी मृत्यु हो गयी है, उसका नाम अनीता था। अनीता का विवाह उसने दिनांक 21.06.2019 को सतीश पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी ग्राम खखरा बुर्जुग, थाना बण्डा जिला शाहजहॉपुर के साथ किया था। शादी में उसने अपनी सार्मथ्य के अनुसार दान में एक स्पलैण्डर मोटरसाइकिल, एक सोने की जंजीर, सोने की अंगूठी, एक लाख रुपया नकद व अन्य घरेलू सामान दिया था। शादी के बाद उसने बेटी को उक्त दिये गये दान दहेज के साथ ससुराल को विदा कर दिया था। तीसरे–चौथे दिन वह अपनी बेटी को विदा करा कर वापस अपने घर ले आया था। फिर आठ दिन बाद उसकी बेटी के ससुराल वाले दामाद, उनके भाई व पिता कई लोग आये थे और विदा कराकर ले गये। फिर 20 दिन बाद उसका लड़का बेटी को बुलाकर लाया था। तब बेटी ने आकर बताया कि ससुराल वाले दहेज में एल0सी0डी0 टी0वी0, जनरेटर की मांग कर रहे है। दहेज की मांग सतीश, अवधेश, अंजू देवी, अखिलेश, रामेश्वर दयाल करते थे। दहेज को लेकर उक्त लोग उसकी बेटी को तंग तराश करते थे। इसके बाद करीब एक माह बाद उसका दामाद सतीश उसकी बेटी को बुलाने आया था तो वादी ने कहा कि अभी उसके पास व्यवस्था नही है, कुछ समय दीजिए। उसके बाद उसकी बेटी को विदा कराकर अपने साथ ले गया। दिनांक 26.12.2018 को उसे पता चला कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गयी है। घटना वाले दिन उसके दामाद सतीश ने उसके घ र के मोबाइल पर मिस काल मारी। मिस कॉल पर उसके घर से उसकी नम्बर पर पुनः फोन किया गया तो सतीश ने बताया कि अनीता की मृत्यु हो गयी। फिर फोन कट गया। उसने पुनः फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। सतीश ने मिस कॉल उसे दिन में तीन बजे की थी। फिर वह व उसकी पत्नी और राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश, परशुराम व पास पड़ोस के लोग बेटी के ससुराल गये थे और 5 बजे ससुराल पहुॅचे थे। जब वह बेटी के ससुराल पहॅचे

तो उसने देखा कि अनीता बेड पर मरी हुई पड़ी है। उसने बेड पर पड़ी बेटी को हिला डुलाकर देखा था। उसने देखा कि बेटी की गर्दन में निशान था। जब वह बेटी की ससुराल पहुॅचा तो ससुराल वाले मौके पर उस समय नही थे। करीब दो घण्टे बाद ससुराल वाले आ गये थे। जब उसने ससुराल वालों से पूछा कि उसकी बेटी की मृत्यु कैसे हो गयी तो उन्होनें कहा कि उन्हें नही मालूम। फिर उसने 100 नम्बर फोन से पुलिस को सूचना दी। पुलिस आधा घण्टा बाद आ गयी थी। उन्होनें कहा कि थाने पर तहरीर दीजिए, फिर वह थाने गया। थाने की पुलिस ने कहा कि उन्हें लिखकर तहरीर दीजिए तब थाने के सामने रोड पार करके मुन्शी जी से उसने तहरीर लिखायी थी। उसने जो बोला था वही तहरीर में लिखा था। उस तहरीर पर उसने दस्तखत बनाये थे। शामिल पत्रावली 3क/3 तहरीर को देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जो उसने बोलकर लिखायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने तहरीर शाम को दी थी। उसके बाद पुलिस सुबह आयी थी। पुलिस ने उसकी मृतका बेटी अनीता का पंचायतनामा दिनांक 27.12.2018 को भरा था। मृतका बेटी को थाने की पुलिस ने एक कपड़े में सील मोहर किया था, कागज तैयार किये थे। पंचनामों पर उसके भी दस्तखत पुलिस ने कराये थे तथा शोभित, संदीप, रामनिवास व राजाराम के भी दस्तखत कराये गये थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। दरोगा जी ने इस सम्बन्ध में बाद में उससे पूछताछ की थी। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू–2 शोभित कुमार ने सशपथ साक्ष्य दिया कि मृतका अनीता देवी उसकी सगी बहिन थी। अनीता की शादी सतीश के साथ दिनांक 21.06. 2018 को हुई थी। यह शादी उसके फूफा राजेश चन्द्र ने मध्यस्थता करके करायी थी। उसके पिता ने शादी में फ्रिज कूलर, बेड, बक्सा, सोफा व अन्य घरेलू सामान, बाइव व कैश भी दिया था। शादी में लगभग 5 लाख रुपये दहेज में दिया था। मृतका के अलावा उसकी अन्य बहिन नही है इकलौती बहन थी उनका आपस में बहुत प्रेम था। रक्षा बन्धन में राखी नही बाधी थी। उसके यहॉ रक्षाबन्धन का त्यौहार नही होता है, भाईदूज होता है। भाईदूज करने थी लेकिन वह आज इस दुनिया में नही है क्योंकि उसकी डेथ हो गयी है। उसकी बहिन पहले से बीमार नही हुई थी। उसकी बहिन ने सोसाइट किया था क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी, जिस समय उसकी मौत हुई थी वह उस समय वहॉ पर नही था। उसके बहिन के ससुराल वालों ने उसे बताया था कि उसने सोसाइट कर ली। बहिन शादी से पहले और पढ़ना चाहती थी। उस समय शादी करते समय माता पिता व उसे यह बात नही पता थी कि उसकी बहिन और पढ़ना चाहती है। शादी के 6 माह बाद उसकी बहिन ने सोसाइट किया था। शादी के बाद भी उसकी बहिन ने यह बात नही बतायी कि वह पढ़ना चाहती है। बहिन ससुराल में बहुत राजी खुशी से रहती थी। पति व ससुराल वाले बहिन को बड़े लाड प्यार से रखते थे। उन लोगों ने बताया कि वह अभी और पढ़ना चाहती है। इसके बाद भी उसके ससुराल वाले व पति उसका एडमिशन नही कराया। जब उसकी बहिन की यह इच्छा पूरी नही हुई तो वह परेशान रहने

लगी। बहन के मरने की सूचना जिसने शादी करायी थी उसने दी थी। शाम को साढ़े तीन बजे सूचना मिली थी। वह उस समय उत्तराखण्ड में था। सूचना पर वह रात 8 बजे आ गया था, जब वह वहॉ पहुॅचा तो घटनास्थल पर पहले से उसके पिता जी, माता जी, चाचा, चाची, भाई उपस्थित थे। सन्दीप नही था। उसके पिता जी ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना बण्डा में रिपोर्ट लिखायी थी। जब वह पहुॅचा तब पुलिस नही आयी थी, उसके बाद पुलिस आयी थी। उसने बहन की लाश को देखा था। बहन के शरीर पर चोट का कोई निशान नही था। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्यवाही सुबह की थी। कुछ कागजात तैयार किये थे। पहले कहा मैने दस्तखत किये थे फिर कहा पंचायतनामें पर दस्तखत किये थे। उसके अलावा पंचायतनामें पर संदीप, रामनिवास, राजाराम, श्रीकृष्ण ने दस्तखत बनाये थे। उसके बाद बहन की लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। इस सम्बन्ध में दरोगा जी ने उससे पूछताछ नही की थी। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू–3 रामनिवास ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि मृतका अनीता उसकी भान्जी थी। उसका विवाह उसने नही कराया था। मृतका की शादी में वह शामिल हुआ था। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। मृतका का मायका उसके गॉव से करीब 3 किलोमीटर दूर है। मृतका जब मर गयी उसकी सूचना मृतका के मायके से आयी थी और मायके वालो में उसे सूचना सचिन भान्जे ने दी थी। यह सूचना उसे 4–5 बजे मिली थी। सूचना के बाद वह मृतका की ससुराल गया। 6–7 बजे वह मृतका की ससुराल पहुॅच गया था। उसके पहुॅचने से पहले मृतका के मायके वाले पहुॅच चुके थे। जब वह पहुॅचा लाश वहॉ पड़ी हुई थी। उसने लाश को देखा था। मृतका के उसने कोई चोट नही देखा था, गर्दन में निशान था। उसके बहनोई श्रीकृष्ण ने मुल्जिमान सतीश के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी थी। वह साथ में नही गया था। रिपोर्ट लिखाने के बाद वहॉ पुलिस आयी थी। पुलिस ने पंचनामें सुबह भरा था। कुछ कागज तैयार किये थे जिस पर दस्तखत कराये थे। फिर पुलिस ने बाद में लाश को कपड़े से सील मोहर किया था और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वह पोस्टमार्टम हाउस गया था। शोभित व श्रीकृष्ण भी गये थे। उसकी तरफ से और कोई नही गया था। पोस्टमार्टम के बाद लाश सतीश ने ली थी। वह लाश को अपने गांव खखरा बुर्जुग ले गया था। वहॉ दाह संस्कार हुआ। वह भी शामिल हुआ था।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू–4 डा0 प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव ने सशपथ साक्ष्य दिया कि दिनांक 28.12.2018 को उसकी तैनाती परामर्शदाता जिला जेल चिकित्सालय शाहजहॉपुर में थी। उस दिन उसके द्वारा सी0एम0एस0 शाहजहॉपुर के आदेश से डा0 महेन्द्र कुमार सर्जन जिला चिकित्सालय शाहजहॉपुर तथा डा0 रितु रस्तोगी स्त्री विशेषज्ञ महिला जिला चिकित्सालय शाहजहॉपुर के साथ पैनल बनाकर श्रीमती अनीता देवी का पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम हाउस शाहजहॉपुर में समय 12:20 पी0एम0 पर किया गया था। मृतका की उम्र लगभग 22 वर्ष तथा पता ग्राम खखरा बुजुर्ग थाना बण्डा जिला शाहजहॉपुर था। मृतका के

शव की पहचान शव को लाने वाले हे0कां0 देशराज वर्मा तथा होमगार्ड वर्मादीन द्वारा तथा मृतका के सम्बन्धी पति सतीशचन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी ग्राम–खखरा बुजुर्ग, थाना बण्डा जिला शाहजहॉपुर तथा पिता श्रीकृष्ण पुत्र छोटेलाल निवासीग्राम–सैजनिया थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी द्वारा किया गया।

<u>बाह्य परीक्षण</u>

मृतका की ऊंचाई 156 से0मी0 तथा वह छरहरी एवं औसत कद काठी की थी। मृत्यु पश्चात् की अकड़न पूरे शरीर से खतम हो चुकी थी तथा पेट फूला हुआ था। पी0एम0 स्टैनिंग मृतका की दोनों अग्रभुजा तथा दोनों पैरो में मौजूद थी तथा फिक्स थी। मृतका की दोनों ऑखे बंद थी तथा मुंह थी बन्द था।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें</u>–लाइगेचर मार्क साइज 26 से0मी0 x 03 से0मी0 गरदन के चारो तरफ थाइराइड कोर्टिलेज के ऊपर तथा चिन व लेयरिंग्स के बीच स्थित था तथा आब्लिक्ली अपवर्ड दिशा में था तथा गर्दन के पीछ की तरफ 04 से0मी0 का गैप था। लाइगेचर मार्क का ग्रुप ब्राउन ड्राई तथा पार्चमेन्ट लाइक था। बेस आफ ग्रूव बांये कान के निचले सिरे संख्या–04 से0मी0 नीचे ठोड़ी से 3.5 से0मी0 नीचे दाहिने कान के निचले सिरे से 03 से0मी0 मौजूद था। काटने पर लाइगेचर मार्क के नीचे का सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्राई तथा ग्लिसटेनिंग।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>–

ब्रेन कनजस्टेड था। लेयरिंग्स कनजेस्टेड थी तथा उसमें ब्लड स्टेन क्यूकस मौजूद था। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे। दाहिने का वजन 510 ग्राम तथा बांये का 515 ग्राम वजन था। ह्दय के दोनों कोष्ठ खाली थे तथा वजन 210 ग्राम था। पेट में लगभग 200 ग्राम भोज्य पदार्थ मौजूद था जिसमें चावल पहचान में आ रहे थे। छोटी ऑत में गैसें थी बड़ी ऑत में मल पदार्थ तथा गैसें थी, यकृत, स्पलीन तथा दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। पेशाब की थैली खाली थी तथा बच्चेदानी खाली थी।

उनकी राय में पोस्टमार्टम के वक्त मृतका की मृत्यु को लगभग दो दिन बीत चुके थे तथा मृतका की मृत्यु पूर्व हैगिंग के कारण दम घुटने से हुयी थी। पी0एम0 रिपोर्ट वरवक्त उसके द्वारा तैयार की गयी थी। पत्रावली में शामिल पी0एम0 रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू–5 प्रवीण कुमार ने सशपथ साक्ष्य दिया कि दिनांक 08.03.2019 को वह क्षेत्राधिकारी के पद पर नियुक्त था। थाने पर दर्ज मु0अ0सं0–621/2018 धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना बण्डा के पूर्व विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री संदीप सिंह का स्थानान्तरण हो जाने के कारण दिनांक 12.03.2019 को उक्त मुकदमें की विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी। उसने विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त किता किये गये पर्चो का अवलोकन किया। डी0पी0एक्ट का अपराध होना नही पाया गया था। जब उसे विवेचना मिली तो मुकदमा धारा 306 भा0दं0सं0 में तरमीम किया जा चुका

था। उसने दिनांक 14.03.2019 को साक्षी मिश्रीलाल, रंजीत कुमार वर्मा, कैलाश, निखैल सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 15.03.2019 को उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पास पड़ोसियों से पूछताछ की गयी और सतीश के ताऊ पुत्तूलाल आदि से बात की। दिनांक 16.03.2019 को नामित व्यक्तियों रामेश्वर दयाल, अवधेश कुमार, अंजू देवी के बयान अंकित किये गये तथा दिनांक 16.03.2019 को विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त सतीश के विरुद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 का आरोपपत्र प्रेषित किया। पत्रावली में संलग्न घटना का नक्शा नजरी जो पूर्व विवेचक संदीप सिंह द्वारा बनाया गया है, जिसकी उसने भी मौके पर जाकर तस्दीक की थी, जो कि पूर्व विवेचक श्री संदीप सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है। वह उनका लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। नक्शा नजरी कागज संख्या–5क पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पत्रावली में शामिल आरोप पत्र कागज संख्या–4क लगायत 4क/5 जो कि कम्प्यूटरीकृत है, जिस पर उसने हस्ताक्षर है वह अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। आरोप पत्र पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू–6 वीरेन्द्र सिंह पैरोकार ने सशपथ साक्ष्य दिया कि वह थाना बण्डा में तैनात है। मु0अ0सं0–621/2018 धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट के चिक एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 लेखक जो कि कम्प्यूटरीकृत है, जिसे कां/क्लर्क रामकिशोर द्वारा टंकित कराया गया है। उक्त कां/क्लर्क रामकिशोर उसके साथ तैनात रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है। चिक एफ0आई0आर0 कागज संख्या–3क लगायत 3क/2 है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया तथा कायमी जी0डी0 रपट नं0 35 दिनांकित 26.12.2018 पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

प्रस्तुत वाद के निस्तारण में मुख्य बिन्दु यह है कि क्या मृतका अनीता द्वारा आत्महत्या किया गया ? यदि हॉ तो इस आत्महत्या के लिए अभियुक्त द्वारा अपने कार्य व आचरण से मृतका को उकसाया गया।''

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113ए यह प्राविधानित करता है कि जब प्रश्न यह है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्व ारा दुष्प्रेरित किया गया है और वह अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की है और यह कि उसके पति व उसके पति के नातेदारों ने उसके प्रति क्रूरता की थी तो न्यायालय मामले के सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गयी है।

धारा 306 भा0दं0सं0 यह प्राविधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करें तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

धारा 107 भा0दं0सं0 दुष्प्रेरण को परिभाषित करता है जिसके अनुसार वह व्यक्ति

किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जोः–

1:– उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा

2:– उस बात करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये अथवा

3:– उस बात के लिए किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरणः– जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्व जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है वह उस बात का किया जाना उकसाना है, यह कहा जाता है।

सम्मानित विधि व्यवस्था किशोरीलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2007(58) ए0सी0सी0 1069 प्रस्तुत करके यह निवेदन किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चयन किया गया है कि यदि साक्ष्य में किसी प्रकार की परोक्ष अथवा अपरोक्ष मानसिक अथवा शारीरिक क्रूरता का कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पति को आत्महत्या की दुष्प्रेरण का दोषी नहीं माना जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था सतीश शे्टी बनाम कर्नाटक राज्य 2016 सी0आर0एल0जे0 3147 सुप्रीम कोर्ट में यह विनिश्चयन किया गया है कि धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत किये गये किसी शारीरिक व मानसिक क्रूरता को यदि साबित कर दिया जाता है तब मात्र उसी अवस्था में उसके पति अथवा नातेदार को धारा 306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु दण्डित किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में अभियोजन को यह साबित करना होगा कि मृतका ने आत्महत्या अभियुक्त द्वारा कारित दुष्प्रेरण के प्रभाव में की है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिये उकसाया है अथवा अभियुक्त इस प्रकार की किसी साजिश में शामिल रहे हैं। मृतका की आत्महत्या के बाबत अभियुक्त ने किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय कथित आत्महत्या में सहायता की है।

इस बिन्दु पर अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षियों के बयान की समीक्षा करना आवश्यक है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–1 जो इस मुकदमें का वादी है और मृतका अनीता का पिता है ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बेटी ने आकर बताया कि ससुराल वाले दहेज में एल0सी0डी0 टी0वी0, जनरेटर की मांग कर रहे है। दहेज की मांग सतीश, अवधेश, अंजू देवी, अखिलेश, रामेश्वर दयाल करते थे। दहेज को लेकर उक्त लोग उसकी बेटी को तंग तराश करते थे। जबकि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह

कथन किया है कि बेटी की ससुराल वालो ने उससे कभी दहेज नही मांगा था। उसकी बेटी ने अपनी मां से बताया था। उसकी पत्नी ने दहेज मांगने वाली बात बेटी के मरने के बाद बतायी। दहेज मांगने वाली बात उसने बेटी के मरने के बाद रिपोर्ट में लिखायी।

साक्षी पी0डब्लू–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे यह भी कथन किया है कि जब वह बेटी की ससुराल पहुॅचा तो ससुराल वाले मौके पर उस समय नही थे। करीब दो घण्टे बाद ससुराल वाले आ गये थे जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस बात का खण्डन करते हुए कथन किया है कि सूचना मिलने के दो घण्टे बाद जब वह बेटी के ससुराल गया था तब सतीश की मॉ उसे मौके पर घर पर मिली थी। बाकी लोग भी थोड़ी देर में इकट्ठा हो गये थे। उसकी बेटी के ससुराल वाले सतीश, रामेश्वर दयाल, अवधेश कुमार, अखिलेश कुमार, अन्जू व सतीश की मॉ सभी लोग उसके साथ रात भर घर पर ही रहे। सुबह पंचनामा व पोस्टमार्टम के समय में भी मौजूद रहे।

इस साक्षी ने अपने साक्ष्य का खण्डन करते हुए प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि जब उसने अपनी बेटी की शादी की थी तब वह शादी नही करना चाहती थी, पढना चाहती थी लेकिन लोक लाज के कारण उसे नही बताया। शादी के बाद इसी कारण से वह परेशान रहती थी। उसकी बेटी को ससुराल में दहेज के कारण कोई परेशान नही करता था न उसे आत्महत्या करने के लिए सतीश या अन्य कोई व्यक्ति प्रेरित करता था। उसने शादी जल्दी हो जाने व पढाई न हो पाने के कारण अवसाद में आत्महत्या कर ली थी।

प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू–1 के बयान में सारवान अन्तर्विरोध पाया गया है। साक्षी पी0डब्लू–1 के साक्ष्य से यह भी पाया गया है कि अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से दुष्प्रेरण व दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित नही किया गया।

साक्षी पी0डब्लू–1 के बयान के अनुशीलन से यह प्रकट होता है कि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री पढ़ाई पूरी न हो पाने के कारण अवसाद में आत्महत्या की थी। इस साक्षी ने अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दिये जाने से पूरी तरह इन्कार कर दिया है। ऐसी स्थिति में साक्षी पी0डब्लू–1 के बयान से यह साबित नही हुआ कि मृतका की आत्महत्या के लिए अभियुक्त दुष्प्रेरण का दोषी है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू–2 शोभित कुमार, जो मृतका का सगा भाई है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

साक्षी पी0डब्लू–2 से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से इन्कार करते हुए कथन किया कि उसने ऐसा कोई बयान नही दिया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे यह भी कथन किया है कि उसके बहन के पति सतीश या ससुराल के अन्य कोई व्यक्ति दहेज की मांग नही करते थे और न दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसकी बहन को सतीश या ससुराल

का कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए न प्रेरित करता था ना उकसाता था और न ही उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि उसकी बहन शादी नही करना चाहती थी और पढ़ना चाहती थी। यह बात उसने लोक लाज के कारण घर पर नही बतायी थी। बहन का अन्तिम संस्कार हो जाने के बाद परिवार की लड़कियां व अनीता की सहेलियों से पता चला था। मुल्जिम सतीश व उसके परिवार के किसी व्यक्ति का कोई हाथ नही है और कोई दोषी नही है। मुल्जिम सतीश का घर काफी सम्पन्न है। जनरेटर पहले से ही लगा है।

साक्षी पी0डब्लू–2 के उक्त बयान से यह भी प्रकट होता है कि मृतका की आत्महत्या करने में अभियुक्त का कोई योगदान नही था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–3 रामनिवास ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका अनीता उसकी भान्जी थी। वह शादी में शामिल हुआ था। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। मृतका के मरने की सूचना उसे मृतका मायके वालों से मिली थी। यह साक्षी पंचनामें का गवाह है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि पुलिस ने पंचनामा सुबह भरा था। कुछ कागज तैयार किये थे, जिस पर उसके दस्तखत कराये थे। साक्षी पी0डब्लू–3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया है कि पंचनामा में क्या लिखा गया था, उसे पढ़कर नही सुनाया गया था। केवल पुलिस वालों ने हस्ताक्षर करा लिए थे। उसे कभी पता नही चला कि उसकी भान्जी की ससुराल वाले उससे दहेज मांगते है या प्रताड़ित करते है। उसे यह बात किसी ने नही बतायी।

प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू–3 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन नहीं किया। इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त की मृतका अनीता उसकी भांजी थी। मृतका के लाश का पंचनामा उसके सामने भरा गया था, जिस पर उसके भी दस्तखत हुए थे।

साक्षी पी0डब्लू–3 के उक्त बयान से भी अभियोजन पक्ष यह साबित नही कर सका है कि मृतका की आत्महत्या के लिए अभियुक्त द्वारा मृतका को उकसाया गया है।

अभियोजन साक्षी पीडब्लू–4 डा0 प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव ने मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटें पायी हैं।

लाइगेचर मार्क साइज 26 से0मी0 x 03 से0मी0 गरदन के चारो तरफ थाइराइड कोर्टिलेज के ऊपर तथा चिन व लेयरिंग्स के बीच स्थित था तथा आब्लिक्ली अपवर्ड दिशा में था तथा गर्दन के पीछ की तरफ 04 से0मी0 का गैप था। लाइगेचर मार्क का ग्रुप ब्राउन ड्राई तथा पार्चमेन्ट लाइक था। बेस आफ ग्रूव बांये कान के निचले सिरे संख्या–04 से0मी0 नीचे ठोड़ी से 3.5 से0मी0 नीचे दाहिने कान के निचले सिरे से 03 से0मी0 मौजूद था। काटने पर लाइगेचर मार्क के नीचे का सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्राई तथा ग्लिसटेनिंग।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>–

ब्रेन कनजस्टेड था। लेयरिंग्स कनजेस्टेड थी तथा उसमें ब्लड स्टेन क्यूकस मौजूद था। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे। दाहिने का वजन 510 ग्राम तथा बांये का 515 ग्राम वजन था। ह्दय के दोनों कोष्ठ खाली थे तथा वजन 210 ग्राम था। पेट में लगभग 200 ग्राम भोज्य पदार्थ मौजूद था जिसमें चावल पहचान में आ रहे थे। छोटी ऑत में गैसें थी बड़ी ऑत में मल पदार्थ तथा गैसें थी, यकृत, स्पलीन तथा दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। पेशाब की थैली खाली थी तथा बच्चेदानी खाली थी।

उनकी राय में पोस्टमार्टम के वक्त मृतका की मृत्यु को लगभग दो दिन बीत चुके थे तथा मृतका की मृत्यु पूर्व हैगिंग के कारण दम घुटने से हुयी थी। पी0एम0 रिपोर्ट वरवक्त उसके द्वारा तैयार की गयी थी। पत्रावली में शामिल पी0एम0 रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

साक्षी पी0डब्लू–4 के उक्त बयान से यह प्रकट होता है कि मृतका के शरीर पर लिग्रेचर मार्क के अलावा अन्य कोई चोट नही पायी गयी। इस साक्षी की राय में मृत्यु पूर्व हैगिंग के कारण दम घुटने से मृत्यु कारित हुयी है।

मृतका के शरीर पर पायी गयी चोटें यह प्रकट करती है कि मृतका द्वारा आत्महत्या किया गया। मृतका के गले पर गर्दन के पीछे की तरफ 04 से0मी0 का गैप होना यह प्रकट करता है कि मृतका ने स्वंय फांसी लगाकर आत्महत्या की है।

अभियोजन द्वारा पेश किये गये तथ्य के साक्षियों के बयान से आत्महत्या में अभियुक्त का दुष्प्रेरण साबित नही हुआ है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि मृतका द्वारा आत्महत्या अभियुक्त के उकसाने से की गयी है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–5 प्रवीण कुमार यादव जो इस मुकदमें के विवेचक है ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि इस मुकदमें की विवेचना उसके द्वारा की गयी। दौरान विवेचना इस मुकदमें से सम्बन्धित नक्शा नजरी जो पूर्व विवेचक के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क–3 व आरोप पत्र जिस पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है को प्रदर्श क–4 के रुप में साबित किया है।

साक्षी पी0डब्लू–5 से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह आया है कि पूर्व विवेचक द्वारा विवेचना किये जाने पर मनोज कुमार का बयान केस डायरी में अंकित किया गया, जिसमें मनोज कुमार ने यह बयान दिया है कि मृतका अनीता मनोज कुमार को फोन करती थी। दौरान विवेचना सी0डी0 के अवलोकन से मृतका अनीता का फोन नम्बर पता चला था। दिनांक 24.12.2018 को अनीता के फोन से मनोज के फोन पर पॉच बार बात की गयी थी। घटना से एक दिन पहले दिनांक 25.12.2018 को मृतका अनीता के फोन से मनोज कुमार के फोन पर 112 मिनट बात हुयी थी। दौरान विवेचना यह भी बात सामने आयी थी कि श्रीमती अन्जू पत्नी अवधेश ने बताया था कि सतीश व अनीता में कभी कोई

झगड़ा नही हुआ था, जब अनीता फोन करती थी तो सतीश ने उसे टोका था कि किसे फोन करती हो।

विवेचक के उक्त बयान से यह तस्वीर उभरकर आती है कि मृतका शादी के पश्चात् भी किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करती थी। इस तथ्य के परिदृश्य में यह परिलक्षित होता है कि मृतका अपनी शादी से प्रसन्न नही थी और अवसाद में उसने आत्महत्या की।

प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू–5 द्वारा की गयी विवेचना व इस साक्षी के बयान से ऐसा कोई तथ्य निकलकर सामने नही आया है, जो यह साबित करता हो कि अभियुक्त सतीश ने मृतका के साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना की हो, जिससे क्षुब्ध होकर मृतका अनीता ने आत्महत्या कर ली हो।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–6 हेड0 कां0 वीरेन्द्र सिंह पैरोकार है, जो कि औपचारिक साक्षी है। साक्षी पी0डब्लू–6 द्वारा इस मुकदमें से सम्बन्धित चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–5 व जी0डी0 प्रदर्श क–6 के रुप में साबित किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस0एस0 छीना बनाम विजय कुमार महाजन एवं अन्य, 2010 (2) सु0को0 क्रिमिनल रूलिंग, 1428 एस0सी0,** में इस आशय की विधि व्यवस्था दी है कि जहॉ अभियुक्त को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिये अभियोजित किया गया था, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया और यह अवधारित किया गया कि दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करने की उस कार्य में साशय सहायता करना शामिल है, जिसमें मानसिक प्रक्रिया निहित है। सक्रिय रूप में अभियुक्त के पक्ष से अपराध हेतु सहायता के बिना दोषसिद्धि कायम नहीं किया जा सकता।

गांगुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट आफ ए0पी0, 2010 (1) सु0को0क्रि0रू0 484 एस0सी0 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अभिप्राय पर विचार किया और अवधारित किया गया कि यह व्यक्ति की एक मानसिक प्रक्रिया है, अथवा व्यक्ति को वैसा करने के लिये दी जाने वाली साशय सहायता बिना सक्रिय कृत्य के कोई दोषसिद्धि सम्भव नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में साक्षीगण के बयान में जहॉ एक ओर सारवान अन्तर्विरोध पाया गया है, वहीं यह भी पाया गया है कि साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से दुष्प्रेरण व दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। इस प्रकार मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियॉ यह इंगित करती हैं कि अभियुक्त का कोई मानसिक आशय मृतका के मृत्यु कारित होने में नहीं था।

सभी तथ्य के साक्षियों के बयानों में यह आया है कि अभियुक्त ने न ही मृतका से दहेज की कभी कोई मांग की और न ही दहेज के लिये मृतका को प्रताड़ित ही किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृतका की आत्महत्या का एकमात्र कारण यह था कि वह पढ़ना चाहती थी परन्तु वह यह बात किसी से कह नही पायी, जिस कारण वह स्वंय में परेशान थी। यह स्वयं

मृतका का दुख है, जिसमें कोई सहभागिता अभियुक्त की नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय **विजयी सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 एआईआर 1459, 1990 एससीआर (2) 573**, में अभियोजन के सबूत के भार के सम्बन्ध में यह विधि व्यवस्था दी है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के संगत प्रस्तर निम्नवत् उद्धृत हैं–

“It will be useful to refer to some of the passages from the text books of outstanding authors on evidence and then proceed to consider the ratio laid down by the Supreme Court cases on this aspect. In Phipson on Evidence, 13th edn. page 44, a passage reads as follows:
"The burden is upon the prosecution of proving a defendant's guilt beyond reasonable doubt before he is convicted. Even where the evidential burden shifts to the defendant the burden of establishing proof beyond reasonable doubt remains upon the prosecution and never changes. If on the whole case the jury have such a doubt the defendant is entitled to be acquitted."
“Another passage at page 48 reads as follows:' "In criminal cases the prosecution discharge their eviden- tial burden by adducing sufficient evidence to raise a prima facie case against the accused. If no evidence is called for the defence the tribunal of fact must decide whether the prosecution has succeeded in discharging its persuasive burden by proving its case beyond a reasonable doubt. In the absence of any defence evidence, the chances that the prose-cution has so succeeded fare greater. Hence the accused may be said to be under an evidential burden if the prosecution has established a prima facie case. Discharge of the eviden- tial burden by defence is not a pre-requisite to an acquit- tal. The accused is entitled to be acquitted if at the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt created by the evidence given by either the prosecution or the prisoner .....No matter what the charge ..... the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law of England and no attempt to whittle it down can be enter- tained.”

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सतीश के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन के पास साक्ष्य का नितान्त अभाव है। साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः विफल रहे है। इस कारण अभियुक्त सतीश लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सतीश को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त सतीश जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अभियुक्त का

रिहाई आदेश अविलम्ब जिला कारागार, शाहजहॉपुर इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित/निरूद्व न हो तो उसे रिहा कर दिया जाये।

दिनांकः 04.01.2020

(कमलापति–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश
संख्या–09, शाहजहाँपुर।

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 04.01.2020

(कमलापति–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश
संख्या–09, शाहजहाँपुर।